रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-10052022-235676
SG-DL-E-10052022-235676

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 270]	दिल्ली, सोमवार, मई 9, 2022/वैशाख 19, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 58
No. 270]	DELHI, MONDAY, MAY 9, 2022/VAISAKHA 19, 1944	[N. C. T. D. No. 58

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

भूमि एवं भवन विभाग
(भूमि अधिग्रहण शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 9 मई, 2022

सं0फा0 8/2/2015/भूमि एवं भवन/भूमि अधि0/911 : गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना सं0 एस0ओ0 2740 (ई) एवं दिनांक 21 जुलाई, 2015 की अधिसूचना एस0ओ0 2004 (ई) के साथ पठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन (सामाजिक प्रभाव, आंकलन एवं अनुज्ञा) में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2014 के नियम 4 के उप–नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीइएआर), परिशीला भवन, 11 इंद्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002 जिसे कि दिनांक 13 जून 2017 की अधिसूचना सं0 फा0 8/2/9/2015/भूमि एवं भवन/भूमि अधि0/2373 के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड के सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु यमुना विहार अपशिष्ट जल उपचार संयत्र (डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी) बहेत क्षेत्र, जोन–III में गोकलपुर निर्वाचन क्षेत्र के भाग की कॉलोनियों में 250 मी0 मी0 व्यास से 710 मी0 मी0 व्यास की आंतरिक सीवर लाइन उपलब्ध कराने, बिछाने तथा जोड़ने हेतु

लिफ्ट स्टेशन निर्माण हेतु गोकलपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मंडोली गांव के राजस्व संपदा में मिलन गार्डन तथा सबोली गांव के राजस्व संपदा में सबोली गड्डा पर लिफ्ट स्टेशनों के निर्माण हेतु सार्वजनिक उपयोग के लिए अधिगृहित भूमि के संबंध में सामाजिक प्रभाव आंकलन करने के लिए तथा सामाजिक प्रभाव आंकलन प्रतिवेदन तैयार करने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है।

यह राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीइएआर), परिशीला भवन, 11 इंद्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002 भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर सामाजिक प्रभाव आंकलन का अध्ययन करेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
अशोक **कुमार यादव, उप–सचिव (भूमि एवं भवन)**

LAND AND BUILDING DEPARTMENT

(Land Acquisition Branch)

NOTIFICATION

Delhi, the 9th May, 2022

F No. 8/2/2015/L&B/LA/911: In exercise of the powers conferred by sub rule (1) of rule 4 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact Assessment and Consent) Rules, 2014, read with Government of India, Ministry of Home Affair's Notification No. S.O.2740(E) dated 21st October 2014, read with S.O. 2004 (E) dated 21st July 2015, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to assign the National Council of Applied Economic Research (NCAER) Parisila Bhawan,11 Indraprastha Estate, New Delhi 110002 which was identified as Social Impact Assessment Unit vide Notification No. F8/2/9/2015/L&B/LA/2373 dated 13th June 2017 to carry out Social Impact Assessment Study and to prepare Social Impact Assessment report for acquisition of land, which the Delhi Jal Board, Government of National Capital Territory of Delhi intends to utilize for public purpose for construction of lift stations at Milan Garden in the revenue village Mandoli and at Saboli Gaddha of the revenue village Saboli in Gokalpur Assembly Constituency for construction of lift stations for providing, laying and jointing 250mm diameter to 710 mm diameter internal sewer line in colonies of constituencies: part of Gokalpur in Zone –III, Yamuna Vihar waste water treatment plant (WWTP) catchment area in Delhi.

The National Council of Applied Economic Research (NCAER) Parisila Bhwan, 11, I.P. Estate, New Delhi 110002 shall carry out the Social Impact Assessment study as per the provisions of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 within a period of six months from the date of publication of this notification in the official gazette.

By Order and in the Name of Lieutenant Governor,

National Capital Territory of Delhi,

ASHOK KUMAR YADAV, Dy. Secy. (Land And Building)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.05.10 14:51:30 +05'30'